



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार-249404

संख्या :: 450 / 03/E-05/DR/रा0उ0नि0/2022-23

दिनांक :: 16 जून, 2023

### राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा-2022 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन तथा शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षा का कार्यक्रम

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा-2022 के संबंध में दिनांक 15.06.2023 को घोषित अभिलेख सत्यापन सूची के क्रम में निम्न अभ्यर्थियों को अनुक्रमांकवार अभिलेख सत्यापन एवं शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाता है-

524737	529529	538119	551381	551383	555432	555914
557289	561413	563596	565957	568691	570509	कुल 13 अभ्यर्थी

अतः उपरोक्त अभ्यर्थी दिनांक 26 जून, 2023 को प्रातः 09.30 बजे अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभिलेख सत्यापन के पश्चात उसी दिन अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन पुलिस लाइन, रोशनाबाद, हरिद्वार किया जायेगा। अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से दिनांक 19 जून, 2023 से डाउनलोड कर सकते हैं।

02- अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट [psc.uk.gov.in](http://psc.uk.gov.in) पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, चैकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, शारीरिक मानक में छूट हेतु प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे-

- (क) ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form)
- (ख) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02)
- (ग) प्रमाणीकरण-पत्रक (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)
- (घ) देशना-पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)।
- (ङ.) चैकलिस्ट (Check List)
- (च) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।

- 03— शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थी का विज्ञापन में उल्लिखित मानकों के अनुसार पटवारी व लेखपाल पद हेतु परीक्षण किया जायेगा।
- 04— यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक दक्षता/मानक परीक्षा हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार एवं पुलिस लाइन हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।
- 05— आयोग परिसर के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।
- 06— अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड से संबंधित समस्त नियमों, प्रोटोकाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।

**-Sd-**  
(अवधेश कुमार सिंह)  
परीक्षा नियंत्रक।